

5.24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 6-6-24 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

66/24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाप पठ किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कूक-कूक कर धावाये दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं इनके सिक्के एक तरफ काफ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रबन्ध से लिखा जाकर शाप पठ किया गया। पत्रावली फलतः शुमार होकर लम्बे समय में

उपखण्ड अधिकारी माण्डल



